

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 04 :सितम्बर- 2018,

-:: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर-
2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	17.9.18 से 20.9.18	पीठ-झांसी (न्याय0) व पीठ-3, लखनऊ (वि0)
2	पीठ-2, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	17.9.18 से 20.9.18	पीठ-1, इलाहाबाद (न्याय0) व पीठ-2, वाराणसी (वि0)
3	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	17.9.18 से 20.9.18	पीठ-1, मेरठ (न्याय0) व पीठ-2 गाजियाबाद (वि0)

ह0- 04.9.18
(विकार अहमद अन्सारी)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1933/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।